बड़ी ग्राम पंचायतों के लिए बनेगी विशेष कार्ययोजना

मुख्यमंत्री बोले- जनकल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत हों पंचायतें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि व्यवस्थित ग्रामीण विकास तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायतों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने शहरी तथा बड़ी ग्राम पंचायतों के विकास और बेहतर प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार करने तथा नगरों से लगी पंचायतों में अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष जल गंगा संवर्धन अभियान को और अधिक व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत गौपालन और गो-समितियों को प्रोत्साहित करने तथा बड़े स्व-सहायता समूहों को लघु उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम गतिविधियों से जोड़ने पर बल दिया। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण सड़क विकास के गुणवत्ता नियंत्रण और संधारण में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सर्वाधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण भी प्रदेश में हुआ है। ग्रामीण सड़कों के संधारण का आकलन ड्रोन तकनीक से किया जा रहा है।

समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि प्रदेश की सभी 208 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में वृंदावन ग्रामों का चयन किया जा चुका है। 10 हजार 554 ग्राम पंचायत भवनों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत दिसंबर 2023 से अब तक 16 लाख 20 हजार से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 8 लाख 19 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मूंग-उड़द उपार्जन की अवधि बढ़ी, किसानों को राहत

नप्र, भोपाल : किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उत्पादक किसानों को राहत देते हुए उपार्जन से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों में बढ़ोतरी की है। अब मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग-उड़द उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। विभाग ने बताया कि किसानों को पंजीयन के दौरान आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और आवश्यक विवरण उपलब्ध कराना होगा। सरकार ने मूंग उपार्जन की सीमा उत्पादन के 60 प्रतिशत तक बढ़ाई है। वहीं उड़द की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा।

27 माह के बकाया एरियर्स की मांग पेंशनरों ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव (वित्त) को पत्र लिखकर सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक के 27 माह के लंबित पेंशन एरियर्स का भुगतान शीघ्र कराने की मांग की है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना और संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों की तरह पेंशनरों को भी 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित पेंशन देने की अनुशंसा की थी, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से इसका लाभ लागू किया। उनका कहना है कि यह निर्णय केंद्रीय सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। प्रांतीय सचिव यशवंत सिंह बैस एवं भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने आरोप लगाया कि वित्त विभाग पेंशनरों के आर्थिक हितों की लगातार अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रतिमाह होना चाहिए था, लेकिन इसे 7,750 रुपये निर्धारित किया गया, जो आयोग की भावना के अनुरूप नहीं है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव, संतोष ठाकुर और शकुंतला वर्मा ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रतिमाह करने तथा 27 माह के बकाया एरियर्स का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने की मांग की है।

डिजिटल टोकन से मिलेगा राशन

नप्र, भोपाल : मध्यप्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस पायलट परियोजना के लिए भोपाल और इंदौर का चयन किया गया है। लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक सभी उचित मूल्य दुकानों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाए। नई व्यवस्था के तहत पात्र हितग्राहियों को उनकी खाद्यान्न पात्रता के अनुरूप प्रत्येक माह डिजिटल टोकन सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में भेजा जाएगा। हितग्राही उचित मूल्य दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन कर टोकन का उपयोग करेंगे और उन्हें निर्धारित मात्रा में गेहूं, चावल तथा अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री ने बताया कि योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, सब्सिडी के दुरुपयोग और रिसाव को रोकना तथा पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। योजना के लिए आधार और राशन कार्ड का मिलान, मोबाइल नंबर का सत्यापन तथा ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही उचित मूल्य दुकानों को क्यूआर आधारित भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाएगा और विक्रेताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सफल होने पर इस व्यवस्था का विस्तार प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

▶▶ भोपाल और इंदौर से शुरू होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नया प्रयोग

एमपी बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी के खाते से 99 हजार उड़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः हबीबगंज साइबर थाना पुलिस ने एमपी बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारी अनिल कुमार झारिया (62) की शिकायत पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

रविशंकर नगर निवासी झारिया ने बताया कि 22 जुलाई को उनके बैंक खाते से 37-37 हजार रुपये के दो और 25 हजार रुपये का एक ट्रांजेक्शन कर कुल 99 हजार रुपये निकाल लिए गए। अगले दिन उनके आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से जुड़े ओटीपी भी लगातार आने लगे। पुलिस बैंक ट्रांजेक्शन और मोबाइल नंबरों के आधार पर जांच कर रही है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 42 हजार की ठगी

हबीबगंज साइबर थाना पुलिस ने सेकेंड स्टॉप, तुलसी नगर निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूपेश रैकवार (25) की शिकायत पर अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी ने खुद को क्रेडिट कार्ड कंपनी का अधिकारी बताकर रिवार्ड प्वाइंट रिडीम कराने का झांसा दिया और एक वेबसाइट पर कार्ड की जानकारी व ओटीपी भरवा लिया। इसके बाद खाते से 42,005 रुपये निकल गए। पुलिस साइबर ठग की तलाश में जुटी है।

आर्मी मेजर बनकर कारोबारी से एक लाख रुपये ठगे

कटारा हिल्स निवासी फर्नीचर कारोबारी अनिल विश्वकर्मा (42) से खुद को सेना में मेजर बताने वाले साइबर ठग ने करीब एक लाख रुपये की ठगी कर ली। आरोपी ने इंडिया मार्ट के जरिए संपर्क कर 10 झूले खरीदने का फर्जी ऑर्डर दिया और भुगतान प्रक्रिया के नाम पर पहले विश्वास जीतकर बाद में दो बार 99,995 रुपये ट्रांसफर करा लिए। सैन्य अधिकारियों से पुष्टि करने पर ठगी का खुलासा हुआ। शिकायत पर हबीबगंज साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हरियाली महोत्सव का आयोजन 22 अगस्त को

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कायस्थ मंडल नगरीय क्षेत्र वेलफेयर सोसाइटी, होशंगाबाद रोड द्वारा 22 अगस्त को सायं 5 बजे से नंदन पैलेस में हरियाली महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सावन सुंदरी प्रतियोगिता, सावन आधारित नृत्य, गीत तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला एवं युवती प्रतिभागियों को विजेता और उपविजेता के रूप में सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छुक महिलाएं और युवतियां अपना नाम मंडल की महिला पदाधिकारियों साधना श्रीवास्तव, अनु श्रीवास्तव, नीना सक्सेना तथा मंजूषा श्रीवास्तव के पास दर्ज करा सकती हैं। कार्यक्रम में प्रतिभागियों के साथ आने वाले परिवार के सभी सदस्यों के लिए हरे रंग के वस्त्र निर्धारित परिधान के रूप में पहनना अनिवार्य रहेगा। आयोजन के समापन पर सभी के लिए सहभोज की भी व्यवस्था की गई है।

जल संसाधन विभाग के 81 कर्मचारियों को मिले नियुक्ति पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बुधवार को बोधी परियोजना कार्यालय में विभाग के 81 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए पूरी निष्ठा, लगन और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। नवचयनित कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए विभाग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 से अब तक जल संसाधन विभाग में कुल 1305 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। इनमें 952 नियमित नियुक्तियां और 353 अनुकंपा नियुक्तियां शामिल हैं।

मोती मस्जिद बैरिकेडिंग के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन, 7 अगस्त को बाजार बंद की चेतावनी

नप्र, भोपाल : मोती मस्जिद चौराहे पर लगाई गई बैरिकेडिंग के विरोध में बुधवार को पुराने शहर के व्यापारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैरिकेड्स तत्काल हटाने की मांग की। उनका कहना है कि बैरिकेडिंग के कारण चौक बाजार, लखेरापुरा, सराफा, जुमेराती और बुधवारा जैसे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि भोज सेतु की ओर से आने वाले वाहनों को बाजार तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे ग्राहकों के साथ व्यापारियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 अगस्त को चौक बाजार में लगी आग के दौरान दमकल वाहनों को समय पर रास्ता नहीं मिल पाया, जिससे आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं। प्रदर्शन के बाद लखेरापुरा स्थित मोती मन्नू धर्मशाला में विभिन्न व्यापारी संगठनों की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि 7 अगस्त तक बैरिकेडिंग नहीं हटाई गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। व्यापारी संगठनों ने उसी दिन पुराने शहर के बाजार बंद रखने की घोषणा भी की है। आंदोलन में भोपाल व्यापारी महासंघ, सराफा एसोसिएशन, वस्त्र व्यवसायी संघ सहित कई व्यापारिक संगठन शामिल हुए।

जीनगर समाज की राष्ट्रीय बैठक संपन्न

नवनियुक्त पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ, समाज के विकास का लिया संकल्प

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अभा जीनगर समाज एकीकरण महासभा (मप्र) की राष्ट्रीय कार्यसमिति एवं प्रबुद्धजन बैठक बुधवार को हिंदी भवन में आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा तथा विशिष्ट अतिथि रेणु देवड़ा उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा भारत माता एवं महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुआ। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश परमार ने जीनगर समाज के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक उत्थान, संगठन विस्तार तथा विभिन्न लंबित मांगों से संबंधित ज्ञापन उपमुख्यमंत्री को सौंपा।

उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि जीनगर समाज शिक्षा, सेवा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने समाजहित से जुड़ी मांगों पर सकारात्मक और संवेदनशीलता के साथ विचार करने का भरोसा देते हुए कहा कि संगठित समाज ही विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है।

कार्यक्रम में नवनियुक्त राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए तथा समाज सेवा, संगठन, अनुशासन और राष्ट्रहित के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री ओमप्रकाश डाबी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण सिसोदिया तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष टीकमचंद चौहान ने संगठन की गतिविधियों, भावी योजनाओं और सामाजिक विकास के विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का प्रभावी एवं गरिमामय संचालन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवानदास ढालिया ने किया। उन्होंने कहा, 'संगठन की वास्तविक शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ताओं में होती है। बैठक में देश के 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने अपने-अपने राज्यों की संगठनात्मक गतिविधियों और भविष्य की कार्ययोजना प्रस्तुत की।

पशुधन नस्ल सुधार के लिए नई तकनीक अपनाने पर जोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पशुपालन एवं डेयरी विभाग के नवागत सचिव डॉ. सुदाम पी. खाड़े ने बुधवार को भोपाल स्थित विभागीय संचालनालय का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, नवाचारों के क्रियान्वयन, बजट, लक्ष्य और वर्तमान प्रगति का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में सचिव ने जिला स्तर पर दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता, उनकी गुणवत्ता, क्रय व्यवस्था, चलित पशु चिकित्सा इकाइयों, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना तथा दुग्ध उत्पादन से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम तथा मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड की गतिविधियों की भी समीक्षा की। डॉ. खाड़े ने पशुधन की नस्ल सुधार के लिए सॉर्टेड सेक्स्ड सीमेन तकनीक के व्यापक उपयोग हेतु पशुपालकों को जागरूक करने तथा प्रदेश में पशुओं के लिए साइलेज की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉ. पी. एस. पटेल, कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक डॉ. एस. एन. शुक्ला, प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त संचालक डॉ. मनोज गौतम, गौसंवर्धन बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉ. अनुपम अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

खंडेलवाल ने जताया शोक

नप्र, भोपाल : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक उमाकांत दीक्षित की माताजी मुन्नी देवी दीक्षित के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दें।

पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मध्यप्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा स्वर्गीय मिश्र के परिजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निर्भीक राजनेता, प्रखर साहित्यकार, लेखक और राष्ट्रभक्त थे। प्रदेश के विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और जनकल्याण के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रसेवा, बौद्धिक नेतृत्व और सार्वजनिक जीवन के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा। पंडित मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई और वर्ष 1963 से 1967 तक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व किया। प्रशासनिक सुधारों, स्थानीय शासन को सशक्त बनाने और जनहितकारी नीतियों के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है।

वरिष्ठ नागरिक मंच का स्थापना दिवस नौ को

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः वरिष्ठ नागरिक मंच कलार समाज भोपाल के तत्वावधान में मंच का 28वां स्थापना दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह नौ अगस्त को प्रातः 9:30 बजे जेके चिकित्सालय परिसर स्थित सीएमई सभागार, कोलार रोड में आयोजित किया जाएगा।

मंच की अध्यक्ष कल्पना आई. डी. राय ने बताया कि समारोह में वर्ष 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों तथा वरिष्ठ समाजसेवियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। समारोह में विभिन्न सामाजिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अतिथि उपस्थित रहेंगे। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को एलएन कॉम्प्लेक्स, कोलार रोड स्थित मंच कार्यालय में कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पदाधिकारियों और समिति सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की।

प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी विद्यार्थियों और समाजसेवियों का होगा सम्मान

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1
महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रापर्टी आई.डी. नं. K300L80303, आवेदन क्र. 12602, आवेदन दि. 07/07/2026
क्रमांक 2300/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल दिनांक 15/07/2026
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की घरौंदा बर्रई आवासीय योजना स्थित प्रकोष्ठ क्रमांक E-23/303 आवंटी श्री चंद्रशेखर गहलोत आत्मज श्री बाबूलाल गहलोत के नाम पर आवंटित है। आवंटी श्री चंद्रशेखर गहलोत का स्वर्गवास दिनांकः 28/11/2025 को हो जाने के कारण आवंटी के वारिसों में उनकी पत्नी श्रीमती श्यामा गहलोत एवं पुत्र श्री शैलेन्द्र सिंह गहलोत द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड एवं समस्त वारिसो की सहमति / शपथ पत्र तथा वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त प्रकोष्ठ क्रमांक E-23/303 का अपने संयुक्त नाम पर नामांतरण चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति /उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साषये /दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति /दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा /आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
राजस्व अधिकारी,
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
1194

कार्यालय प्रशासक ईडन गार्डन रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल
(पंजीयन क्रमांक /डी.आर.बी./1396, दिनांक 13.06.2019)
क्रमांक/निर्वा./2026/02 दिनांक 05.08.2026
निर्वाचन आमसभा की सूचना
संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत निर्वाचन आमसभा दिनांक 20.08.2026, दिन गुरुवार को प्रातः 10.30 बजे से स्थान ईडन गार्डन रहवासी संस्था परिसर अमरावत खुर्द, जिला-भोपाल पर आयोजित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी श्री ओ.पी. मालवीय द्वारा दिनांक 12/08/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेंगे दिनांक 12/08/2026 को दोपहर 02 से नियोजन पत्रों की जांच की जावेगी, दिनांक 13/08/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। उपरोक्त समस्त कार्यक्रम स्थान कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, डी-ब्लाक, पुराना सचिवालय, जिला-भोपाल पर सम्पन्न होंगे, तत्पश्चात सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जावेगा। आमसभा की सूचना के साथ निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित कार्यक्रम की सूचना सदस्यों को पृथक से स्पीड पोस्ट / साधारण डाक द्वारा भेजी गई है।
(सपना गुह्य) प्रशासक
ईडन गार्डन रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला भोपाल
1195

कार्यलय राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं.01. रापडिया
तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र.
रा.प्र.कं.. अ/-12/2026-27
ग्राम नाम कटारा
सूचना-पत्र
प्रति, 1. श्री ठाकुर प्रसाद आ. श्री मूलचंद नि. कटरा भोपाल, 2. श्री प्रेमनारायण पिता श्री सेकराम नि. ग्राम कटारा भोपाल, 3. श्री अमरसिंह पिता श्री हरिप्रसाद नि. ग्राम कटारा 4. आदित्यनाथ बिल्डर्स द्वारा पार्टनर सर्वज जैन आ. श्री विमल कुमार जैन नि. भोपाल। सर्वे साधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पड़ोसीगण। **विषय-** सीमांकन किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र। **एतद द्वारा** सूचित किया जाता है कि आवेदक ठाकुर प्रसाद पिता श्री मूलचंद नि. ग्राम कटारा प.ह.न.-0 में स्थित खसरा नंबर क्र. 307/1, 305, 309/2, रकबा क्रमांक 0.5900 हे. 0.0900 हे. 0.0400 हे. भूमि कुल रकबा हे. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदक पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दि. 07/08/26 को समय प्रातः 11.00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एव अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमाकंन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नही होगी । अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमाकंन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 05/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
राजस्व निरीक्षक
तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र.
1196

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल
प्र.क्र.1300/अ-6/2026-27
उद्घोषणा पत्र
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक शुभम खरे पुत्र श्री सुनील कुमार खरे नि. HIG 89 शंकराचार्य नगर बागसवनिया म.प्र.भू.रा. सहिंता 1959 की धारा 109,110 अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम बागसेवनिया प.ह.न.- 20. नंबर स्थित भूमि खसरा 284/1/15 प्लाट सी-18 रकबा 753 वर्गफूट भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवदेक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह । 19/08/2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 5/8/2026 को जारी किया गया।
नायब तहसीलदार
तहसील-कोलार, जिला भोपाल
1197

कार्यालय राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं.0. रतनपुर सड़क तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र.
रा.प्र.कं.. अ/-12/2026-27
ग्राम नाम-थुआखेड़ा
RS/444/0736/3597/2026
सूचना-पत्र
प्रति, 1. श्री महेंद्र सिंह चंदेल पिता श्री कमल सिंह चंदेल नि. भो., 2. श्री राधेश्याम मीना आ. श्री लीलाकिशन मीना नि. थुआखेड़ा भो., 3. श्री जयमलसिंह, अजमल सिंह, चंदनसिंह, सुमन सिंह, 4. ज्वाल सिंह नि. भोपाल। 5. श्रीमती अनीता ठाकुर पत्नी श्री अतुल ठाकुर नि. भोपाल, 6. श्री रूपेश कुमार आ. घनलाल नि. थुआखेड़ा भो., 7. श्री अशोक आ. विसराम सिंह, नि. भोपाल, 8. सरजू बाई आ. विसराम सिंह नि. भोपाल, 9. सर्वेसाधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पड़ोसीगण। **विषय-** सीमांकन किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र। **एतद द्वारा** सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री महेंद्र सिंह चंदेल पिता श्री कमल सिंह चंदेल नि. सरस्वती नगर भोपाल द्वारा ग्राम-थुआखेड़ा प.ह.नं.-0 में स्थित खसरा नंबर क्रमांक 206/2, 207/1, 208/2 रकबा क्रमांक 1.3800 हे., 0.6900 हे. 0.8200 हे. भूमि कुल रकवा 2.89 हे. भूमि का सीमांकन हेतू आवेदक पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 10.08.2026 को समय 11 से 2:00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एव अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमाकंन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमाकंन की दिनांक मे परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र मे कराया जा सकता है। आज दिनांक 22/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
राजस्व निरीक्षक
तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र.
1198

जाहिर/आम सूचना
मेरी पक्षकारा श्रीमती असमा शोकत पत्नी प्रोफेसर शोकत सईद ख साहब आयु व्यस्क निवासी 20 आशियाना बी.डी.ए कॉलोनी कोहेफिजा भोपाल मध्य प्रदेश ने मुझे अपना अधिवक्ता नियुक्त कर उनके बताये एवं निर्देश अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरी पक्षकारा के स्वत, स्वामित्व एवं आधिपत्य एक किता एम.आई.जी.फ्लैट एस 2 बहुमंजिला इमारत मोना टावर के द्वितीय तल पर स्थित है जिसके संबंध में मेरी पक्षकार द्वारा नदीम अली पुत्र स्वर्गीय मकसूद अली आयु व्यस्क निवासी ए 12 मयूर विहार कॉलोनी अशोका गार्डन भोपाल मध्यप्रदेश से दिनांक 22-9-2025 को एक विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया था जिसमें नदीम अली ने बयाना राशि भी प्रदान की थी तथा उक्त संव्यवाह में नदीम अली द्वारा 3 माह के भीतर सम्पुर्ण राशि अदा कर उक्त फ्लैट के विक्रय पत्र का निष्पादन किया जाना था परंतु नदीम अली द्वारा उक्त फ्लैट का विक्रेय पत्र का निष्पादन 11 माह व्यतीत होने के उपरांत भी नहीं कराया गया और बयाना राशि भी वापस प्राप्त कर ली है जिसके उपरांत अब मेरी पक्षकार द्वारा दिनांक 22.9.2025 के विक्रय अनुबंध पत्र को निरस्त घोषित कर दिया है, जिस संबंध में मेरी पक्षकारों द्वारा नदीम अली को वैधानिक सूचना प